न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मनेन्द्रगढ़
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0)

रा0प्र0क0 202411330400009/अ–62/
वर्ष 2024–25, ग्राम चैनपुर

कार्यपालन अभियंता,
छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल मनेन्द्रगढ़
तहसील–मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) .... आवेदक

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन ....अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 21/04/2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल विभाग, परियोजना संभाग कोरिया(छ0ग0) का पत्र क्रमांक 2577/लेखा शाखा/परि.सं./कोरिया/2024 बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/10/2024 द्वारा फोरेस्ट कालोनी चैनपुर मनेन्द्रगढ़ में फोरेस्ट विभाग के जर्जर भवन को डिस्मेंटल कर जी0ए0डी0 आवास जी–टाईप भवनों को (जी+2) निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त आवास निर्माण कार्य हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 24011873870 दिनांक 25.06.2024 के माध्यम से प्रदाय की गई है। उक्त प्रस्तावित स्थल पर हरा पेड़ लगभग 100 नग हर्बल पौधे है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न कर उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय में पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, उप अभियंता गृह निर्माण विभाग व वन परिक्षेत्राधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक शहरी मनेन्द्रगढ़ एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त, जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि कि ग्राम चैनपुर फोरेस्ट कालोनी तह0 मनेन्द्रगढ़ में मौके पर 03 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष पाये गये। उक्त मौके पर वृक्षों का नाप–जोख कर प्रजातिवार वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	ग्राम	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों का माप/छाती की गोलाई	हालत
1	ग्राम चैनपुर फोरेस्ट कालोनी तह0 मनेन्द्रगढ़	आम	1.20 cm	जलाऊ
2		आम	1.20 cm	जलाऊ
3		गुलमोहर	74 cm	जलाऊ
	योग – 03 नग			

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व निरीक्षक शहरी मनेन्द्रगढ़ एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़, परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि ग्राम चैनपुर फोरेस्ट कालोनी तह0 मनेन्द्रगढ़ में मौके पर 03 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को फोरेस्ट विभाग के जर्जर भवन को डिस्मेंटल कर जी0ए0डी0 आवास जी–टाईप भवनों को (जी+2) निर्माण करने हेतु कटवाने की अनुमति चाहते है।

21/04/2025

Scanned with CamScanner

अतः छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् ग्राम चैनपुर फोरेस्ट कालोनी तह0 मनेन्द्रगढ़ में कुल 03 नग विभिन्न प्रजाति के लगे हुये वृक्ष को निम्नांकित शर्तों के अधीन वन विभाग के देख–रेख में काटने की अनापत्ति/अनुज्ञा दी जाता है।

शर्ते

1. छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् एवं छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2022 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, वृक्षों की कटाई कर सकेगा।
2. उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई के दौरान आम–जनता के निस्तारी एवं उनके दिन–चर्या की सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आवागमन आदि सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं लोक न्यूसेंस की स्थिति निर्मित न हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जावें।
3. पेड़ों को काटने के पूर्व क्षेत्र की विद्युत लाईन को सुरक्षित तरीके से हटाया जावे। आपस पास के रहवासियों को विद्युत बाधित करने की सूचना दी जावे तथा विद्युत विभाग का दल भी मौजूद रहे।
4. वृक्षों की कटाई उपरांत वन अधिनियम के तहत् लकड़ी की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई जावें।
5. वृक्षों की कटाई की कार्यवाही का आवश्यकतानुसार वीडियोंग्राफी अथवा फोटोग्राफी कराई जावें तथा खर्च व मजदूरों के पारिश्रमिक आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
6. काटे गये वृक्षों के एवज में 10 गुना पेड़ वन विभाग के बताये गये स्थानों पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
7. वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार का जन/हानि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
8. वन विभाग अपने देख–रेख में वृक्षों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था व विधिक प्रावधान/नियम व शर्तों के अधीन ही वृक्षों की कटाई करेंगे।
9. यदि उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई को लेकर किसी भी विधिक प्रावधानों/नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो यह आदेश शून्य माना जायेगा।

आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

21/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी(छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र./1174/वाचक–1/वृक्ष कटाई/2025 मनेन्द्रगढ दिनांक 21/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी(वन), वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 रा0विद्युत वितरण कम्पनी मर्या0, मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आवेदक/कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल विभाग, परियोजना संभाग कोरिया(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी(छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

Scanned with CamScanner